## क्षेत्रीय कार्यालय,पटना मे सनदी लेखाकर संस्थान के लिए सूचीकरण हेतु रुति की अभिव्याक्ति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत ईकाई है, संगठन का मुख्य उद्देष्य सदस्यों को वृद्धावसी में ई० पी० एफ० एवं एम० पी० एक्ट 1952 प्रावधान के अंर्तगत एवं निर्धारित तीन योजनाओं के तहत सामाजि सुरक्ष प्रदान करना है।
(2) क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पटना बिहार आरंभमें तीन वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न टैक्स संबंधीत मामले के देखभाल एवं संबंधीत प्रक्रियाएँ लेखा विवरणी में शामिल विशिष्ट प्रविष्टि का रिकॉनसिलेशन या कोई विषय जो टैक्स से संबंधित हो या लेखा या बुक कीपिंग आदि के लिए जब भी क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को जरूरत हो सनदी लेखाकार को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है, इस कार्य के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना 1952 के पैरा 27 एए के तहत छूट प्राप्त संस्थानों का विशेष अंकेक्षण कार्य जहां जरूरत समझा जाएगा आवंटिक किया जाएगा।
(3) आपेक्षित योग्यता
(क) आवेदक संरथा कम-से-कम वर्ष से अस्तिव में होना चाहिए।
(ख) आवेदक संस्था को कम-से-कम 3 वर्ष से पूर्ण समय के लिए साझेदार होना चाहिए
(ग) आवेदक संरथा को सी० एण्ड ए० जी० के सूची में होना चाहिए।
(घ) साझेदार को ICAI का सदस्य होना चाहिए एवं ICAI द्वारा जारी अनुभव का पुर्ण कालिक पेशा का मान्य प्रमाणपत्र होना चाहिए।
(ड.) आवेदक संस्था को (लेखा अंकेक्षण) सरकारी संस्था लोक सेवा उपक्रम का लेखा अंकेक्षण टैक्स संबंधी मामले का अनुभव होना चाहिए।
(च) संस्था का विगत तीन वर्ष कर अर्न ओवर कम-से-कम दस वर्ष को होना चाहिए।
(छ) आवेदक संसथा या इसके साझेदार सनद लेखाकार अधिनियम 1949 (यदा संशोधित) प्रवधान के तहत विगत पाँच वर्षों के दौरान पेशागत दुर्व्यवहार के दोषी न पाए गए हों या किसी संवैधानिक संसती या ICAI या किसी टैक्स कानुन के द्वारा दण्डित नहीं किए गए हो।
(ज) आवेदक संस्था या इसके साझेदार को किसी अनुसंधान या किसी टैक्स कानुन के उल्लंघन का टैक्स अधिकारी या कोई कर कानून के उल्लंघन का सामना नहीं कर रहा हो।
(झ) विहार में किसी भी स्थान पर काम करने के इच्छुक आवेदित संस्थान को वरियता दी जाएगी।
(4) चयन प्रक्रिया
(क) अंतिम तिथि तक प्राप्त किए गए सभी आवेदन की जाँच सक्षम पदाधिकारी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा अर्हक संस्थान के चयन हेतू किया जाएगा। जब एक बार किसी संस्था को अर्हक मान लिया जाएगा तो सर्वाच्च पाँच संस्थान को विभिन्न मापदंड के आधार पर प्राप्त अंको के अनुसार चयन किया जाएगा।

पाइंट पद्धति निम्नानुसार होगी :-

| क्रम <br> सं० | अर्हता | पाईट |
| :--- | :--- | :--- |
| 1. | प्रतिष्ठान का अनुभव | 5 वष्र और उससे आगे प्रत्येक कैलेंडर <br> वर्ष के लिए 0.5 अंक - अधिकतम 15 <br> अंक |
| 2. | पूर्णकालिक एफ० सी० ए० | प्रथम पार्टनर क लिए 5 अंक एवं 2 सरे <br> पार्टनर से 2.5 अंक |
| 3. | पूर्णकालिक एसीए पार्टनर | प्रथम 3 पार्टनर के लिए 3 अंक प्रत्येक <br> तथा पार्टनर से 1.5 अंक |
| 4. | पूर्णकालिक सी० ए० कर्मचारी | प्रत्येक सी० ए० के लिए 1 अंक- <br> अधिकतम 20 अंक |
| 5. | टर्न ओवर | 10 लाख से उपर प्रत्येक लाख के लिए <br> 1 अंक |

(ख) जरूरत के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नए संस्थानों को पैनल में शामिल किया जायेगा।
5. कार्य की प्रकृति :- कर्मचारी भविष्य निधि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि है। तथापि आयकर अधिनियम एवं अन्य कर नियमों के विभिन्न प्रावधान कतिपय मामलों में कर्मचारी भविष्य निधि संगइन पर लागू होते है। इसके अतिरिक्त लेखा विवरणी को अंतिम रूट देना, छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट को अंकेक्षण या विशेष अंकेक्षण, सिस्टम ऑडिट, कार्य निष्पादन का आडिट, लेखा विवरणी में दर्ज की गई विशिष्ट प्रविष्टि को समाधान अथवा कर संबंधी, लेखा, बुक कीपींग इत्यादि से संबंधित मामलों के लिए पेशावर सेवा की आवश्यकता है। नामित संसीीन को संदर्भ की शर्तों के अनुसार आबंटित मामले को निपटाना होगा। इस कार्य के अतिरिक्त छूट प्राप्त कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट जो क्षेत्रीय कार्यालय. पटना के अन्तर्गत है, का जरूरत के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 27 ए ए के प्रावधानों के तहत विशेष अंकेक्षण की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है।
6. कार्य का आबंटन :- काम के आबंटन के लिए सूचिबद्ध संस्थानों से सीमित निविदा मंगायी जायेगी एवं केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तिय नियमों का अनुसरण करते हुये संबंधित संस्थान को काम का आबंटन किया जायेगा।
7. आवेदन प्रपत्र :- इच्छुक संस्थान/पार्टी संलग्न प्रपत्र (एनेक्सर 'ए') में घोशणा पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं।
8. रूचि की अभिव्यक्ति लिफाफे पर "गोपनी- सनदी लेखाकार संस्थान सूचीबद्धता के लिए रूचि की अभिव्यक्ति" बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए तथा इसे बन्द लिफाफे में क्षेत्रीय भविश्य निधि आयुक्त भविश्य निधि भवन, आर ब्लॉक, रोड नं-6, सर्पेन्टाईन रोड के निकट पटना-800001 के पते पर जमा करना है।
9. रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि $30 / 10 / 2018$ है तथा इसे दिनांक $31 / 10 / 2018$ को अपराह्न में $04: 00$ बजे क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी भविश्य निधि संगठन, पटना में खोला जायेगा तथा चयनित संस्थान को सूचीकरण के बाद सूचित कर दिया जायेगा।

(ब्रजेश कुमार)
सहायक भविश्य निधि आयुक्त कर्मचारी भविश्य निधि संगठन

सत्यापित करता हूँ एवं शपथ लेता हूँ;
(क) कि उपरोक्त विवरण पूर्ण एवं सही है। यदि आवेदन में दी गई सूचना या कथन सही नहीं हैं या उसत्य पारा जाता हैं या सूचना को छुपाया जाता है,तो संस्थान को सूचीबद्ध या कार्य आबंटन के लिए अयोग्य समझा जाएगा एवं चार्टर्ड लेखा अधिनियम एवं इसके तहत बनाए गए विनियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागीदार होंगे।
(ख) आवेदक संस्था या इसके साझेदार को चार्टर्ड लेखाकार अधिनियम 1949(यथा संशोधित)गत पाँच वर्षों के दौरान किसी भी पेशाजनित अनुतुतित आचरण(दुर्व्यवहार) का दोषी नहीं होना चाहिए या ICAI या किसी अन्य संवैधानिक संस्था द्वारा टैवस कानून के अंतर्गत दंडित नहीं होना चाहिए।
(ग) आवेदक संस्था या इसके साझोदार को किसी तरह के टैंवस कानून के उल्लन्घन या टैवस अथॉरिटी के जांच या अनुसंधाज का दोषी नहीं होना चाहिए।
(घ) मैं एवं अन्य साझेदार सनदी लेखाकार के पेशे से पूरी तरह से जुड़े हुटो है।

प्रबंधन साझेदार का नाम एवं हस्ताक्षर संस्था के मोहर के साथ

कर्मतारी भविष्य निधि संगठन के लिए सनदी लेखाकार संस्था को सुचीबद्ध करने के लिए आवेदन।

| 1. | सनदी लेखाकर संस्था का नाम |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 2. | संस्थान का रजिस्ट्रेशन संख्या(ICAI) |  |
| 3. | संर्थान के गठन की तिधि एवं पी॰एफ द्वारा संगठन के गाठित होने का प्रमाण पत्र | प्रतिलिपि संलग्न करें। |
| 4. | सी एंड एजी के सूपीब्ध होने का प्रमाण | प्रतिलिपि संलग्न करें। |
| 5. | पद के साथ साझेदारों का नाम(एफसीए एवं एसीए) |  |
| 6. | साझेटायों की सदस्यता संख्या एवं अनुभव का प्रमाण पत्र | प्रतिलिपि संलग्न करें। |
| 7. | मुख्यालय एवं शाखा का पूरा पता, ईमेल, टेलीफोज,मोबाईल, फैक्स के साथ |  |
| 8. | संस्थान का आययकर पैन | प्रतिलिपि संलग्न करें। |
|  | संस्थाज के साथ जुड़े पेशेवरों की पूरी संख्या |  |
| 9. | (क) पूर्णकालिक एफसीए साझोदार <br> (ख) पूर्णकालिक एफसीए साझोटारा <br> (ग) पूर्णाकालिक एफसीए साइोदार |  |
| 10. | क्या संर्था/साझेटायों के खिताफ कोई कानूनी मामता/कार्यवाही लंबित हैं? |  |
| 11. | संस्था का गत तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर |  |
| 12. | वर्ष 2017-18 के लिए ICA से अनुभव का प्रमाण पत्र एवं सदस्यता शुल्क के भुगतान का प्रमाण पत्र\| | प्रतिलिपि संलग्न करें। |
| 13. | निम्न क्षेत्र में टेंक्स/अंकेक्षण कार्य का अनुभव दर्शाएँ <br> (क) लोक सेवा उपक्रम <br> (ख) सरकारी(केंद्रीय/राज्य) <br> (ग) किजी क्षेत्र |  |

# Expression of Inferest (EOI) for <br> Empanelment of Charted Accountant Firms <br> For Regional Office, Patna <br> Employees Provident Fund Organisation 

1. The Employees Provident Fund Organisation, India (EPFO) is an autonomous body under the aegis of the Ministry Of Labour and Employment, Government of India. The main objective of the organization is to provide old-age social security to the subscribers as per the provisions of EPF \& MP Act 1952 and the three Schemes framed thereunder.
2. Regional Office, EPFO, Patna, Bihar proposes to form a panel of Chartered Accountant Firms for initial period of three years for handling various Tax matters and allied activities, finalization of books of accounts, special audit, reconciliation of specific entries appearing in books of accounts or any other matter relating to tax matter or accounts or book keeping as and when required in respect of Regional Office, Patna. Besides this activity special audit of exempted EPF Trust within Regional Office, Patna may also be assigned wherever considered necessary as provided in para-27AA of EPF Scheme 1952.

## 3. Eligibility Criteria:-

a) Applicant Firms should be in existence for at least 05 years.
b) Applicant Firms should have at least 03 full time partners.
c) The applicant firm should be in the panel of $C \& A G$.
d) The partners must be member of ICAI and should have valid full time certificate of practice issued by ICAI.
e) Applicant firm must have experience of auditing accounts/handling tax matters with Govt. Organisations/ PSEs.
f) Average annual turnover of the firm of the firm of the last three years should be at least Rs. 10 lakhs.
g) Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Charted Accountant Act 1949 (as amended) during past five years or penalised under any of the tax laws by ICAI or any other statutory body.
h) Applicant firm or its partners should not be facing any investigation or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.
i) Applicant firm should preferably be willing to work at any place in Bihar.

## 4. Selection Procedure:

a) All the applications received up to the last date shall be scrutinted by a commitee appointed by the competent authority to decide the eligible fims. Once a fimis declared as eligible the top 05 firms will be selected on the basis of point scored on ollerent cileria.

Point system will be as follows:-

| SI. <br> No. | ELIGIBILITY | POINTS |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | Experience of Firm | 0.5 point for every calendar year from 5 years <br> onwards- Maximum 15 points. |
| 2 | Full time FCA | 5 point for first partner and 2.5 from 2 <br> nd <br> onwards. |
| 3 | Full time ACA Partner | 3 points each for first three partner and 1.5 points <br> for $4^{\text {th }}$ partner onwards. |
| 4 | Full time CA Employees | 1 point for every CA - maximum 20 points. |
| 5 | Turn over | 1 point for each lakh above 10 lakhs. |

b) In case of necessity, EPFO shall add new firms in the panel.
5. Nature of work: Employees Provident Fund is a recognized provident Fund under provisions of Income Tax Act 1961 therefore, its income are not taxable. However under certain circumstances various provisions of Income Tax Act and other tax laws become applicable to EPFO. Apart from this professional services are required also for finalization of books of accounts, special audit or audit of exempted PF Trust, system audit, performance audit, reconciliation of specific entries appearing in books of accounts or any other matter relating to tax matter or accounts or book keeping etc. the nominated firm would be required to handle the case assigned as per the terms of reference. Besides this activity special audit of exempted EPF Trust within Regional Office, Patna may also be assigned wherever considered necessary as provided in para-27AA of EPF Scheme 1952.
6. Allotment of work: To allot any work a limited tender will be invited from the empanelled firms and following the General Financial Rules of the Central Government, the work will be allotted to a particular firm.
7. Application Form: Interested parties may apply in the application format enclosed as Annexure-A along with the undertaking.
8. EOI should be super scribed as "Confidential- EOI for empanelment of Charted Accountant Firm" to be submitted in closed envelope and addressed to :- The Regional Provident Fund Commissioner, Bhavishya Nidhi Bhawan, R-Block,Road no- 06.Near Serpentine Road, Patna-800001.
9. Last date of submission of EOI is $30 / 10 / 2018$. The EOI will be opened on $31 / 10 / 2018$ al 4:00 PM at E.P.F.O., Regional Office, Patna.
and the firm selected will be intimated after empanelment:
(BRAJESH KUMAR)
Assistant Provident Fund Commissionet EPFO, Regional Office, Paina

## Application for empanelment of Charred Accountant Firms for Employees' Provident Fund Organisation.



## UNDERTAKING

$\qquad$ the managing partners of $\mathrm{M} / \mathrm{s}$. .Chartered
Accountants do hereby verify, declare and undertake:
a) That the particulars given above are complete and correct and that if any of the statements made or the information so furnished in the application form is later found not correct or false or there has been suppression of material information, the firm would stand disqualified from empanelment/allotment of work and might be liable for disciplinary action under the Chartered Accountant Act 1949 and the regulations framed there under.
b) Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountant Act 1949 (as amended) during past five years or penalised under any of the tax laws by ICAI or any other statutory body.
c) Applicant firm or its partners should not be facing any investigation or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.
d) That I and other partners are in full time practice of chartered accountants.

